

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 71/2025

GCMS NO- 2025/133

उनवान - विक्की कुमावत, बोदूराम जाति कुमावत निवासी बबाई तहसील खेतड़ी  
जिला झुंझुनूं।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी

अधिवक्ता प्रार्थी - श्री धर्मपाल खटाणा

आदेश

निर्णय दिनांक 14/10/25

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, फोटो प्रति पासपोर्ट, पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भू.अ./25/1698 दिनांक 14.08.2025 के द्वारा स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम प्रतापपुरा पटवार मण्डल गाडराटा की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 154 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते ह। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	प्रतापपुरा	खाता संख्या 154 किता 7 कुल रकबा 1.91 है.	पिंकी पुत्र बोदू	विक्की कुमावत उर्फ पिंकी पुत्र बोदूराम

(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी  
दिनांक :- 14/10/25

क्रमांक :- राजस्व/2015/315  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. विक्की कुमावत बोदूराम जाति कुमावत निवासी बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, खेतड़ी